<u>विषयः इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर अनुसंधान एवं विकास के लिए रूचि की अभिव्यक्ति</u>

आप इस बात से अवगत होंगे कि भारत निर्वाचन आयोग **(**ईसीआई**)** स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन आयोजित करने के लिए एक दशक से भी अधिक समय से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों **(**ईवीएम**)** का प्रयोग कर रहा है। आयोग ने मतदान प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए वोटर वेरिफाएबल पेपर ऑडिट ट्रैल **(**वीवीपीएटी**)** की भी शुरूआत की है।

यद्यपि विद्यमान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों ने अपने उद्देश्यों को पूरा किया है और देश में आयोजित किए जाने वाले निर्वाचनों में एक बड़ा बदलाव किया है फिर भी हमेशा और आगे सुधार की गुंजाइश होती है।

सत्त सुधार लाने के उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में, या तो ईवीएम/वीवीपीएटी में उन्नत विशेषताओं के द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक मतदान के लिए पूर्णतः सर्वथा नवीन उत्पादों या प्रौद्योगिकियों के माध्यम से, निर्वाचन आयोग ने इस क्षेत्र में परियोजनाओं को निधि प्रदान करने के लिए वर्ष **2016-17** के लिए रु**. 25** करोड की अनुसंधान/विकास राशि निर्धारित की है।

इस पहल को और आगे ले जाने के लिए, भारत निर्वाचन आयोग निम्नलिखित श्रेणियों के अधीन अनुसंधान एवं विकास परियोजना प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के लिए प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोडक्ट इंजीनीयरिंग एवं संबंधित सॉफ्टवेयर विकास में सिद्ध क्षमताओं के साथ आर एण्ड डी हाऊसों/सस्थानों से रूचि की अभिव्यक्ति की मांग करता हैः-

- **()** मतदान तकनीकों के नवीन विकल्पों का उपयोग करते हुए, भविष्यवादी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का अन्वेषण करने तथा विकास करने के लिए।
- **()** अगले **3** से **6** महीनों में विद्यमान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में वृद्धिशील सुधार लाने के लिए।

प्रस्ताव दिनांक **31** दिसम्बर, **2016** तक निम्नलिखित को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित हैः-

सचिव **(**ईवीएम**)**,
भारत निर्वाचन आयोग,
निर्वाचन सदन,
अशोक रोड, नई दिल्ली-**110001**

सभी प्रस्तावों की इस विषय के विशेषज्ञों और भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों की गठित एक समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी। विकास गतिविधियों को निधि प्रदान करने के लिए संक्षिप्त सूचीबद्ध प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। प्रस्ताव में डिलिवरेबल तथा प्रत्येक चरण के लिए समयसीमा सहित विचार, प्रस्तावित विकास योजना का वर्णन विस्तृत रूप में होना चाहिए।
प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से मैनपावर लागत, सामग्री लागत, अवसंरचना लागत जैसे विवरणों सहित विकास के प्रत्येक चरण के लिए अपेक्षित निधि के बारे में बताया जाना चाहिए।

आर एण्ड डी हाऊस/संस्थान जिनके प्रस्ताव सूचीबद्ध एवं विकास के लिए निधिबद्ध हैं, से यह अपेक्षित होगा कि वे तंत्र/उपतंत्र के इंजिनियर्ड तथा वर्किंग प्रोटोटाइप को प्रस्तुत करें ताकि यदि अपेक्षित हो तो इसका उत्पादन किया जा सके।

श्रेणी **(**ख**)** के अधीन प्रस्तुत एवं संक्षिप्त सूचीबद्ध प्रस्तावों के लिए, विद्यमान ईवीएमों/वीवीपीएटी सहित विकसित उत्पाद/उपतंत्र इंटरफेस करने के लिए अपेक्षित सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी।

विकास सम्बन्धी प्रस्तावों का निम्नलिखित मानदण्डों के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगाः-

i. लागत कम करने का सामर्थ्य।
ii. भार कम करने का सामर्थ्य।
iii. पणधारियों का अनुभव बढ़ाने की संभावना।
iv. क्षेत्र में परिनियोजन करने की व्यवहार्यता।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निधिबद्ध परियोजनाओं के माध्यम से विकसित आईपी के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार भारत निर्वाचन आयोग के पास होगा। विकासकर्त्ता को एक वचनबद्ध देना होगा कि वह भारत निर्वाचन आयोग के स्पष्ट लिखित अनुमोदन के बिना, इस आईपी को कहीं और उपयोग नहीं करेगा।

कुछ परियोजनाएं जिन पर श्रेणी **(**ख**)** में विकसित करने के लिए विचार किया जा सकता है, नीचे क्रमवार हैः-

1. हल्के भार वाली सघन वीवीपीएटी
2. बैलेट यूनिट सहित संकलित वीवीपीएटी
3. बैलेट यूनिट, वीवीपीएटी यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट को जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाईबर का उपयोग
4. मतदाता का फोटोग्राफ रिकॉर्ड करने के लिए कैमरे सहित बैलेट यूनिट

उपर्युक्त सूची व्याख्यात्मक है एवं पूर्ण नहीं है तथा इसके लिए नए विचारों को प्रस्तावित किया जा सकता है।